आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2019(1)

अनिल क्षेत्रपाल के समकस जे-

रघु नाथ और अन्य-अपीलार्थी

बनाम

अजमत सिंह और अन्य प्रतिवादीगण आर. एस. ए. No.2865, 2010 की

08 अप्रैल, 2019

क) विशिष्ट राहत अधिनियम, **1963**-धारा **31** और **34**-किसी लिखित दस्तावेज को रद्द करने के लिए वाद और स्थिति या अधिकार की घोषणा के लिए दावा रद्द करने के लिए दावा में, जहां कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई लिखित दस्तावेज शून्य या शून्य है और वह इसे शून्य या शून्य घोषित करना चाहता है, वह मुकदमा दायर कर सकता है और इसे अलग या रद्द घोषित कर सकता है-जबकि घोषणा के लिए मुकदमे के तहत, किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर घोषणात्मक मुकदमे, जो किसी भी कानूनी चरित्र या किसी भी संपत्ति के रूप में किसी भी अधिकार का हकदार है, एक मुकदमा दायर कर सकता है और अदालत अपने विवेक से उसमें एक घोषणा कर सकती है कि वह इस तरह से हकदार है।

माना कि दोनों दावो**a** का दायरा अलग-अलग है।धारा 31 लागू होती है जहां एक व्यक्ति जिसके खिलाफ एक लिखित लिखत अमानयकरणीय है और वह इसे अमानयकरण के रूप में निर्णय लेना चाहता है, वह एक मुकदमा दायर कर सकता है और इसे अलग या रद्द घोषित कर सकता है।जबकि धारा 34 किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर घोषणात्मक मुकदमों से संबंधित है, जो किसी भी कानूनी चरित्र या किसी संपत्ति के रूप में किसी भी अधिकार का हकदार है, वह एक मुकदमा दायर कर सकता है और अदालत अपने विवेक से उसमें एक घोषणा कर सकती है कि वह इसका हकदार है।

(पैरा 16)

बी) विशिष्ट राहत अधिनियम, **1963**-,l **31** और **34**-सीमा अधिनियम, **1963**-

अनुच्छेद **58**-घोषणा के लिए मुकदमा-सीमा द्वारा वर्जित-क्या वादी किसी भी लिखित दस्तावेज को चुनौती दिए बिना कब्जे के मालिक हैं, उन तथ्यों की जांच किए बिना समय द्वारा वर्जित किया जा सकता है जो मुकदमे को जन्म देते हैं-वादी ने घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया जो सीमा अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद **58** द्वारा शासित है-अनुच्छेद **58** प्रदान करता है कि सीमा की अवधि तब चलना शुरू हो जाएगी जब पहले उपार्जित लोगों पर मुकदमा करने का अधिकार हो-राजस्व रिकॉर्ड में प्रवेश या त्रुटि आवश्यक रूप से कार्रवाई के कारण को जन्म नहीं देती है-कार्रवाई का कारण तब उत्पन्न होगा जब प्रतिवादी कब्जे में वादी को बेदखल करने के लिए आते हैं-कहा गया घटना मुकदमा दायर करने से पहले प्रति सप्ताह के रूप में हुई थी।

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 58 में प्रावधान किया गया है कि सीमा की अवधि तब शुरू होगी जब पहले मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त होगा।अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि राजस्व रिकॉर्ड में कोई प्रविष्टि या त्रुटि आवश्यक रूप से कार्रवाई के कारण को जन्म नहीं देती है। कार्रवाई का कारण वर्तमान मामले के तथ्यों में उत्पन्न होगा जब प्रतिवादी उन वादियों को बेदखल करने के लिए आए जो कब्जे में हैं।उपरोक्त घटना वाद दायर करने से एक सप्ताह पहले वाद के अनुसार हुई थी और इसलिए, प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्ष कि वाद को सीमा द्वारा वर्जित किया गया था, भी गलत है।

(पैरा 18)

अमित जैन, अधिवक्ता

अपीलार्थियों के लिए।

O.P.S.Tanwar, प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता सं।1.

संजीव गुप्ता, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी संख्या के लिए।2 और 3.

अनिल क्षेत्रपाल, जे।

(1) वादी-अपीलकर्ता नीचे दी गई दोनों अदालतों द्वारा पारित फैसले के खिलाफ नियमित दूसरी अपील में हैं, जिसमें उनके द्वारा दायर मुकदमे को यह घोषणा करने के लिए खारिज कर दिया गया है कि अपीलार्थी मुकदमे की भूमि के मालिक हैं और

उत्परिवर्तन संख्या।2053 समेकन अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के आधार पर स्वीकृत किया जाना वैध और बाध्यकारी है।

(2) इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, निर्धारण के लिए कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होते हैं:-

((i) लिखित लिखत को रद्द करने के मुकदमे और स्थिति या अधिकार की घोषणा के मुकदमे में क्या अंतर है?

((ii) क्या किसी लिखित लिखत को चुनौती दिए बिना यह घोषणा करने के लिए दायर किए गए मुकदमे कि वादी कब्जे में मालिक हैं, को उन तथ्यों की जांच किए बिना समय पर प्रतिबंधित किया जा सकता है जिन्होंने मुकदमे को जन्म दिया?

(3) इस मामले के तथ्य स्पष्ट रूप से साबित करते हैं कि समेकन प्राधिकरणों की एक छोटी सी गलती के परिणामस्वरूप पक्षों के बीच एक लंबा मुकदमा चल सकता है।

(4) ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स (समेकन और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम, 1948 (इसके बाद '1948 अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के अनुसार होल्डिंग्स का समेकन गांव वर्ष **1955** में हुआ।

वर्ष 1955 में।होल्डिंग्स के समेकन में, वादी, जो 114 कनाल और 12 मरला भूमि के मालिक थे, उन्हें 114 कनाल और 17 मरला भूमि आवंटित की गई थी।इसी तरह, प्रतिवादियों के पूर्ववर्ती भी 114 कनाल और 17 मरला भूमि के मालिक थे, जबकि उन्हें 114 कनाल और 11 मरला भूमि आवंटित की गई थी।होल्डिंग्स का समेकन पूरा होने के बाद, आवश्यक दस्तावेज तैयार किए गए और उसमें आयत No.91 के स्थान पर आयत संख्या 76 में शामिल भूमि का उल्लेख करते समय एक छोटी सी त्रुटि सामने आई।पक्षों के बीच विवाद को छोटी मेज से प्रदर्शित किया जा सकता है।-

रघु नाथ आदि।

एकीकरण से पहले		एकीकरण के बाद	
80/24/2(1-16)	88/89	76/16/2(2-15)	76/13/(6-0)
25(7-16)	10/1(1-0)	14/1(2-2)	14(5-8)
87/4(8-0)	7(8-0)	17(17-1)	15(6-0)
5(8-0)	79/21(8-0)	24(6-15)	16(6-0)

88/1(8-0)	22(8-0)	25(6-1)	17(5-8)
2(8-0)	23(8-0)	91/4(5-11)	18(6-0)
3(8-0)			
4(8-0)	114-12	6(6-0)	24(5-8)
5(8-0)		7(5-8)	25(6-0)
8(8-0)		8(8-0)	98/4(5-8)
			5(5-19) 114-17

फग्गू सिंह आदि।

एकीकरण से पहले		एकीकरण के बाद	
76/16/2(2-15)	91/14(5-8)	43/1(8-0)	79/19(8-0)
14/1(1-2)	15(6-0)	2(6-9)	20(8-0)
17(4-1)	16(6-0)	10(8-0)	11/24(4-12)
24(6-15)	17(5-8)	42/4/2(4-0)	12(7-11)
25(6-1)	18(6-0)	5(8-0)	9(6-4)

91/4(5-11)	23/2(4-3)	6(8-0)	8(8-5)
5(6-0)	24(5-8)	7(8-0)	3(2-0)
6(6-0)	25(6-0)	29/23(8-0)	80/16/1(3-4)
7(5-8)	98/4(5-8)	18(8-0)	114-11
8(6-0)	5(5-19)		
13(6-0)	114-17		

(5) उपरोक्त सारणीबद्ध जानकारी से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादियों के पूर्ववर्तियों फग्गू सिंह आदि के पास जो भूमि थी, उसे वादी को आवंटित किया गया था, लेकिन समेकन अधिकारियों द्वारा अधिनियम का उल्लेख करते हुए एक छोटी सी त्रुटि की गई थी।रेक्ट के स्थान पर No.76।No.91 खसरा Nos.13,14,15,16,17 और 18 में शामिल भूमि के संबंध में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा कि होल्डिंग्स के समेकन के बाद एक राजस्व संपत्ति में स्थित भूमि को आयतों में विभाजित किया गया था जो आम तौर पर 25 एकड़ के होते हैं और प्रत्येक आयत में आमतौर पर 25 एकड़ भूमि होती है और प्रत्येक एकड़ को खसरा संख्या/किला संख्या दी गई थी।

(6) होल्डिंग्स का समेकन पूरा होने के बाद, 1948 के अधिनियम की धारा 21 और

23 के अनुसार कब्जे का आदान-प्रदान किया गया था।हालांकि, आयत संख्या के संदर्भ में त्रुटि के कारण, स्वामित्व कॉलम में राजस्व रिकॉर्ड में परिणामी प्रविष्टि प्रतिवादियों के पूर्ववर्ती के नाम पर जारी रही।यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि जोतों के समेकन के बाद, प्रतिवादियों के पूर्ववर्तियों को कभी भी रेक्ट में कोई भूमि आवंटित नहीं की गई थी।No.91, हालांकि, वे होल्डिंग्स के समेकन से पहले इसके मालिक थे।हालाँकि, जैसा कि देखा गया है, यह त्रुटि के कारण यह पूरा विवाद उत्पन्न हुआ है।

(7) वर्ष के लिए जमाबंदी में 1965-66, Ex.P3 रेक्ट में शामिल भूमि के संबंध में। No.91, खसरा संख्या 13,14,15,16,17 और 18, वादी को भूमि के कब्जे में दर्ज किया गया था, हालाँकि, प्रतिवादियों के हित में स्वामित्व स्तंभ पूर्ववर्ती के नाम पर जारी रहा।टिप्पणी कॉलम में, प्रविष्टि की गई थी कि वादी विनिमय के कारण कब्जे में हैं।यह प्रविष्टि जामबंदियों में वर्षों तक जारी रही 1970-71, Ex.P4,1975-76, Ex.P5।जब वादी को उपरोक्त गलती का पता चला, तो उन्होंने 1948 के अधिनियम की धारा 42 के साथ पठित धारा 43-ए के तहत एक आवेदन दायर किया।मामला समेकन अधिकारी के पास भेजा गया, जिन्होंने रिकॉर्ड की जांच करने के बाद पाया कि होल्डिंग के समेकन के समय और प्रतिवादी अजमत सिंह को सुनने के बाद तैयार किए गए रिकॉर्ड में त्रुटि है।

प्रतिवादी अजमत सिंह सहित उपस्थित पक्षकार, प्रतिवादी को सुनने के दिनांक 25.01.1980 के आदेश के माध्यम से मुद्रण संबंधी लिपिकीय त्रुटि में सुधार का आदेश दिया गया। उपरोक्त आदेश का प्रभाव फरवरी, 1980 में स्वीकृत म्यूटेशन No.2059 के माध्यम से राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत परिलक्षित हुआ था, इस प्रकार, राजस्व रिकॉर्ड को भी सही किया गया था।इसके बाद, स्वामित्व कॉलम में 1980-81,1985-86,1990-91,1995-96 वर्षों के लिए जमाबंदी प्रविष्टियों के साथ-साथ कब्जे में, वादी के नाम का सही उल्लेख किया गया था।

(8) तथ्यों का एक और पक्ष है जिसने पूरी तरह से भ्रम पैदा किया है।प्रतिवादियों के पूर्व हित सूरत सिंह थे, जिनके दो बेटे फग्गू और दौलत राम थे। फग्गू के पुत्र अजमत और जनक हैं, जबकि दौलत राम अपने पीछे केवल विधवा निर्मला को छोड़ गए थे।अजमत के बेटे का नाम किरनो है, जबकि जनक के बेटे का नाम जसमेर है।जैस्मर और किरनो ने निर्मला से उसके स्वामित्व वाली भूमि के संबंध में दिनांक 29.04.1972, Ex.D5 का एक धोखाधड़ीपूर्ण सहमति आदेश प्राप्त किया था।यह जानने पर निर्मला ने उपरोक्त सहमति आदेश को चुनौती दी।वह सफल रही और उसके द्वारा दायर मुकदमे का आदेश 28.03.1981 पर दिया गया।

(9) पहली और दूसरी अपील खारिज कर दी गई ।लेकिन एक बार फिर राजस्व अधिकारियों ने गलती की ।चूंकि, खसरा संख्या द्वारा वर्णित भूमि के संबंध में दिनांकित 29.04.1972 डिक्री, जिसे बाद में अलग कर दिया गया था, जिसे उस समय ठीक नहीं किया गया था, राजस्व अधिकारियों ने उपरोक्त उत्परिवर्तन को रद्द कर दिया और उसके बाद निर्णय को लागू करते हुए एक बार फिर निर्मला का नाम दर्ज किया और 28.03.1981, Ex.D7 पर 29.04.1972 पर पारित डिक्री को रद्द करते हुए डिक्री पारित की गई ।एक बार फिर स्थिति वर्ग एक पर वापस आ गई ।निर्मला की मृत्यु हो गई और उनकी संपत्ति रतन सिंह, महावीर और सुशीला देवी द्वारा एक वसीयतनामे के आधार पर विरासत में मिली।

(10) वादी ने एक बार फिर उपरोक्त गलत प्रविष्टि के बारे में पता चलने पर रतन सिंह, महावीर और सुशीला देवी के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की परिणामी राहत के साथ घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया ।दुर्भाग्य से, मुकदमा गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दिया गया था क्योंकि कोई भी पक्ष 26.07.1992 पर अदालत में पेश नहीं हुआ था ।इस बीच, एक और विकास हुआ कि निर्मला की वसीयत के तहत लाभार्थियों, अर्थात् रतन सिंह, महावीर और सुशीला देवी ने मुकदमे में प्रतिवादियों के पक्ष में सहमति आदेशों के माध्यम से संपत्ति का हस्तांतरण किया ।यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि म्यूटेशन No.2053 की मंजूरी के खिलाफ दायर अपील, जिसे दिनांक 25.01.1980 के सनयुकत आदेश के आधार पर मंजूरी दी गई थी, को राजस्व और अन्य के समक्ष चुनौती दी गई थी।

अपील और मामले में अधिकारी रिमांड के बाद लंबित रहे ।परिवर्तन की कार्यवाही अब दीवानी अदालत के फैसले की प्रतीक्षा करने के लिए अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है।

(11) वादियों ने यह दावा करते हुए वर्तमान मुकदमा दायर किया कि वे रेक्ट में शामिल भूमि के मालिक हैं ।No.91, खसरा Nos.13,14,15,16 17 और 18।

(12) वादियों ने विभिन्न तिथियों पर अपनी कार्रवाई के कारण का अनुरोध किया, जिसमें मुकदमा दायर करने से एक सप्ताह पहले भी शामिल था, जब प्रतिवादियों ने वाद भूमि से वादियों को जबरन बेदखल करने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके।

(13) जैसा कि ऊपर देखा गया है, दोनों अदालतों ने साक्षय की सराहना पर वादी द्वारा दायर मुकदमे को खारिज करने का विकल्प चुना है।

(14) ज्ञात प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वादी-अपीलार्थियों द्वारा दायर अपील को खारिज करने के लिए निम्नलिखित अजीब कारणों को दर्ज किया है:(1) निर्मला द्वारा किरनो और जैस्मर के खिलाफ दायर मुकदमे में पारित डिक्री अंतिम हो गई है और "इसलिए कथित गैरकानूनी और अवैध डिक्री के आधार पर किए गए सभी परिणामी कार्यों और कार्यों को निरस्त कर दिया गया है, जिसका उक्त डिक्री के संदर्भ में निर्मला देवी के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।"

(2) 28.03.1981 दिनांकित डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है और जब तक कि 28.03.1981 दिनांकित डिक्री को चुनौती नहीं दी जाती है और अलग नहीं रखा जाता है, इसलिए, उसके आधार पर स्वीकृत उत्परिवर्तन को भी अलग नहीं किया जा सकता है।

(3) "एक सुव्यवस्थित और अंतिम डिक्री को संशोधित या बदला नहीं जा सकता है ताकि इसके उत्परिवर्तन को केवल 1955 के अस्पष्ट आदेश के आधार पर अलग किया जा सके जो निर्मला देवी या उनके पति दौलत राम की अनुपस्थिति में पारित किया गया था।

(4) वादी द्वारा दायर मुकदमे को सीमा द्वारा वर्जित किया गया है क्योंकि निर्णय और डिक्री 28.03.1981 पर पारित की गई थी।जबकि मुकदमा 15 साल के अंतराल के बाद नवंबर, 1996 में दायर किया गया है।

नोट:- उत्परिवर्तन राजस्व अधिकारियों द्वारा जमाबंदी में स्वामित्व के स्तंभ में परिवर्तन के कारण राजस्व रिकॉर्ड को अद्यतन करने के लिए की गई एक प्रविष्टि है, चाहे वह मालिक की मृत्यु, बिक्री, उपहार, बंधक आदि जैसे किसी भी कारण से हो।

(15) विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय लिखित लिखत को रद्द करने और स्थिति या अधिकार की घोषणा के लिए दायर मुकदमे के बीच अंतर करने में विफल रहा है।ये दोनों मुकदमे विशेष राहत अधिनियम, 1963 के विभिन्न प्रावधानों द्वारा शासित हैं।धारा 31 रद्द करने से संबंधित है, जबकि धारा 34 घोषणा का प्रावधान करती है।दोनों खंडों को निम्नानुसार निकाला गया है:-

31. कब रद्द करने का आदेश दिया जा सकता है।—(1) कोई भी व्यक्ति

जिनके खिलाफ कोई लिखित लिखत अमान्य या अमान्य है, और जिसे उचित

आशंका है कि ऐसा लिखत, यदि बकाया छोड़ दिया जाता है तो उसे गंभीर चोट लग सकती है, तो वह इसे अमान्य या अमान्य घोषित करने के लिए मुकदमा कर सकता है; और अदालत, अपने विवेक से, इसे निर्णय दे सकती है और इसे वितरित करने और रद्द करने का आदेश दे सकती है।(2) यदि लिखत को भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के तहत पंजीकृत किया गया है, तो न्यायालय अपनी डिक्री की एक प्रति उस अधिकारी को भी भेजेगा जिसके कार्यालय में लिखत को इस तरह से पंजीकृत किया गया है और ऐसा अधिकारी अपनी पुस्तकों में निहित लिखत की प्रति पर इसके रद्द होने के तथ्य को नोट करेगा।

34. स्थिति या अधिकार की घोषणा के बारे में न्यायालय का विवेकाधिकार।

—किसी भी कानूनी चरित्र, या किसी संपत्ति के रूप में किसी भी अधिकार का हकदार कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है, जो इस तरह के चरित्र या अधिकार के लिए अपने अधिकार से इनकार कर रहा है, या इनकार करने में रुचि रखता है, और अदालत अपने विवेक से उसमें घोषणा कर सकती है कि वह इतना हकदार है, और वादी को ऐसे मुकदमे में आगे कोई राहत मांगने की आवश्यकता नहीं है:बशर्ते कि कोई भी अदालत ऐसी कोई घोषणा नहीं करेगी जहां वादी, केवल स्वामित्व की घोषणा के अलावा और राहत लेने में सक्षम होने के कारण, ऐसा करने से चूक जाता है।

स्पष्टीकरण।—संपत्ति का न्यासी वह व्यक्ति होता है जो किसी ऐसे व्यक्ति के शीर्षक के प्रतिकूल शीर्षक को अस्वीकार करने में रुचि रखता है जो अस्तित्व में नहीं है, और जिसके लिए, यदि अस्तित्व में है, तो वह न्यासी होगा।

(16) यह स्पष्ट है कि दोनों सूट का दायरा अलग-अलग है।धारा 31 लागू होती है जहां एक व्यक्ति जिसके खिलाफ एक लिखित लिखत शून्य या शून्य है और वह इसे शून्य या शून्य के रूप में निर्णय लेना चाहता है, वह एक मुकदमा दायर कर सकता है और इसे अलग या रद्द घोषित कर सकता है।जबकि धारा 34 किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर घोषणात्मक मुकदमों से संबंधित है, जो किसी भी कानूनी चरित्र या किसी संपत्ति के रूप में किसी भी अधिकार का हकदार है, वह मुकदमा दायर कर सकता है और अदालत अपने विवेक से उसमें एक बना सकती है।

घोषणा करें कि वह इसके लिए हकदार है।निरंजन कौर बनाम निर्बिगन कौर 1 के मामले में इस अदालत की पूर्ण पीठ ने रद्द करने के मुकदमे और केवल घोषणा के बीच के अंतर को समझाया है।(17) वादी कभी भी 1972 की डिक्री के पक्षकार नहीं

थे, जिसे बाद में 28.03.1981 के फैसले और डिक्री द्वारा दरकिनार कर दिया गया था।नतीजतन, जो वादी मुकदमे में पक्षकार नहीं थे, उन्हें डिक्री को रद्द करने की मांग करने की आवश्यकता नहीं थी।वादी उन पक्षों के तहत किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर रहे हैं जो मुकदमे के पक्षकार थे जिसके परिणामस्वरूप निर्णय और डिक्री दिनांकित 28.03.1981 हुई।इस प्रकार, वादी ने घोषणा के लिए सही ढंग से मुकदमा दायर किया जिसमें दावा किया गया कि वे संपत्ति के कब्जे में मालिक हैं।

(18) इसी तरह, पहली अपीलीय अदालत ने एक निष्कर्ष लौटाते हुए गलती की कि वादी द्वारा दायर मुकदमे को समय से रोक दिया गया था।वादी ने घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर किया था जो सीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 58 द्वारा शासित होगा।अनुच्छेद 58 में प्रावधान है कि सीमा की अवधि तब शुरू होगी जब पहले मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त होगा।अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि राजस्व रिकॉर्ड में कोई प्रविष्टि या त्रुटि आवश्यक रूप से कार्रवाई के कारण को जन्म नहीं देती है।कार्रवाई का कारण वर्तमान मामले के तथ्यों में उत्पन्न होगा जब प्रतिवादी उन वादियों को बेदखल करने के लिए आए जो कब्जे में हैं।उपरोक्त घटना वाद दायर करने से एक सप्ताह पहले वाद के अनुसार हुई थी और इसलिए, प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्ष कि वाद को सीमा द्वारा वर्जित किया गया था, भी गलत है।

(19) प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज करने में भी गलती की है कि 1981 की डिक्री को वादी द्वारा चुनौती दी गई है, जो तथ्यात्मक रूप से गलत है। वादी ने डिक्री को रद्द करने के लिए कभी मुकदमा दायर नहीं किया।बल्कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का निष्कर्ष विरोधाभासी है।एक ओर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 1981 की डिक्री को कभी चुनौती नहीं दी गई है, जबकि सीमा पर विचार करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 1981 के निर्णय और डिक्री को चुनौती दी गई है।

(20) जहां तक अगले कारण का संबंध है, यह ध्यान दिया जा सकता है कि 1955 का कोई आदेश नहीं है।1955 में, समेकन कार्यवाही के पूरा होने पर, राजस्व प्रविष्टियाँ की गईं।आदेश, यदि कोई हो, त्रुटि को सुधारते हुए समेकन अधिकारी द्वारा पारित 25.01.1980 दिनांकित है।इसलिए, अदालत ने गलत निर्णय दिया है कि 1955 के अस्पष्ट आदेश के आधार पर उत्परिवर्तन को संशोधित नहीं किया जा सकता है।

(21) प्रतिवादीगण के लिए विद्वान वकील द्वारा एक हताश अपील की गई थी कि अदालत द्वारा पारित फैसले के कारण निर्मला के कानूनी उत्तराधिकारी संपत्ति से वंचित हो जाएंगे।उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि अदालतों द्वारा फग्गू और दौलत राम के परिवार के सदस्यों के बीच अंतर-निर्णय और फरमान पारित किए गए थे, जिसके बाद निर्मला आई।यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि फग्गू और दौलत राम के परिवारों के बीच अंतर-विवाद वर्तमान मुकदमे का विषय नहीं है।इसलिए, वे अपने बीच के विवाद को कानूनी रूप से अनुमत होने पर स्थापित मुकदमे के अनुसार हल करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(22) 29.08.2017 पर अपील स्वीकार करने के समय, अदालत द्वारा वकील द्वारा प्रस्तावित कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए गए थे:-

"(क) क्या तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, निचली अदालतों द्वारा अपीलार्थियों के स्वामित्व और अधिकार को उनकी पात्रता के अनुसार नजरअंदाज करने का दृष्टिकोण, दिनांकित निर्णय के आधार पर, जिसे दिनांकित आदेश द्वारा सुधार के साथ पढ़ा जाता है और मुकदमे को खारिज करना कानूनी रूप से कायम रखा जा सकता है?

(ख) क्या बाद की दीवानी मुकदमेबाजी जिसमें अपीलार्थी पक्षकार नहीं थे और अपीलार्थी का स्वामित्व और कब्जा समेकन अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से निकला था, अपीलार्थियों द्वारा दायर मुकदमे को खारिज किया जा सकता है?

(ग) क्या तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, नीचे दिए गए विद्वान न्यायालयों का दृष्टिकोण इस बात को नजरअंदाज करने में कि यह प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादीगण के पक्ष में आवंटन को दोगुना करने के बराबर होगा, वादी/अपीलार्थी गैर-उपयुक्त हो सकते हैं?

(घ) क्या तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में वादी/अपीलार्थियों द्वारा दायर दीवानी मुकदमे को गैर-विचारणीय माना जा सकता है?

(ङ) क्या तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वादी/अपीलार्थियों द्वारा दायर वाद, जो मालिक के रूप में स्थापित कब्जे में हैं, को सीमा के बिंदु पर खारिज किया जा सकता है?

(च) क्या तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादीगण

किसी भी अधिकार, शीर्षक या हित का दावा कर सकते हैं

सिविल मुकदमे के आधार पर संपत्ति के संबंध में जिसमें वे पक्षकार नहीं हैं?

(छ) क्या तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, 1987 के सिविल सूट No.510 और 1993 के सिविल सूट No.131 में पारित दीवानी अदालत के आदेश धोखाधड़ी नहीं हैं?

(23) कानून के जिन प्रश्नों को तैयार किया गया है, उनका उत्तर अंतिम सुनवाई के समय इस अदालत द्वारा बनाए गए कानून के प्रश्नों का उत्तर देकर दिया जाता है।

(24) नियमित दूसरी अपील की अनुमति है।

C.M.No.7506-C-2013

(25) इस आवेदन में प्रार्थना है कि सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी, शाहाबाद द्वारा पारित दिनांकित 01.10.1995 आवेदन की अतिरिक्त साक्षय प्रमाणित प्रति और दिनांकित 22.07.1996 आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाए।

(26) अंतिम दलीलों के समय, अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील ने इस आवेदन पर जोर नहीं दिया।इसलिए, दबाए बिना खारिज कर दिया गया।

ऋतंभ्रा शर्मा

असवीकरण:- सथानिय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिये है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अनय उदेशय के लिये इसका उपयोग नही किया जा सकता ।सभी वयवहारिक और अधिकारिक उदेशयो के लिये निर्णय का अगरेजी सनसकरण परमाणिक होगा और निषपादन और कारयानयन के उदेशयो के लिये उपयुकत रहेगा ।

राज कुमार

अनुवादक